स्वास्थ्य क्षेत्र में 23,747 करोड़

भोपाल. 18 फ़रवरी. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को समृद्ध मध्यप्रदेश 2047 की दिशा में एक दूरदर्शी, समावेशी एवं परिणामोन्मुखी दस्तावेज बताया है.

श्री शुक्ल ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में शहरी, ग्रामीण हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना विकास सभी सेक्टर के लिए प्रावधान हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 4600 करोड़ रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिए 3056 करोड़ रुपये, जिला एवं सिविल अस्पतालों हेतु 2049 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन हेतु 1934 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए 1277 करोड़ रुपये तथा राज्यांश सहित कुल 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब एवं वंचित वर्ग को नि:शुल्क उपचार की सुविधा निरंतर मिलती रहे. चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में भी ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं. एमबीबीएस सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ स्नातकोत्तर सीटों का विस्तार किया गया है. निजी क्षेत्र की सहभागिता से नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं तथा हजारों चिकित्सक एवं नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा.बजट में स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण पर विशेष बल दिया गया है. सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, सुपरस्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना तथा आधुनिक उपकरणों के अनुरक्षण हेतु पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी प्रदेश के रूप में मध्यप्रदेश टेलीमेडिसिन एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से उपचार की पहुंच को और विस्तारित करेगा.

श्री शुक्ल ने कहा कि 'रोलिंग बजट' की अभिनव पहल वित्तीय अनुशासन एवं दूरदर्शी योजना निर्माण का उदाहरण है.

एमपी बजट ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में : हेमंत

प्रति व्यक्ति आय बढ़ना राज्य के लिए बेहतर

लाड़ली बहना योजना के लिए भी बजट प्रावधान

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश के वर्ष 2026-27 के बजट को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ऐतिहासिक और सभी वर्गों के हित में बताया है. उन्होंने कहा कि 4,38,317 करोड़ रुपये का यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में सबसे बड़ा कदम है.

श्री खंडेलवाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 रुपए से बढ़कर 1,69,000 रुपए हो गई है, जो सरकार की प्रभावी आर्थिक नीतियों का परिणाम है. उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करता है. गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और 1 लाख सोलर पंप किसानों को देने की योजना है.प्राकृतिक खेती के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य और फसल बीमा के लिए 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. महिलाओं के लिए 'लाड़ली बहना योजना' के तहत 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, 5,700 महिला हॉस्टल और पेंशन व्यवस्था पर जोर दिया गया है. युवाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रावधान और खेलों के विकास के लिए 815 करोड़ रुपए तय किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में मजरे-टोले की सड़कों के लिए 21,000 करोड़ रुपए और शिक्षा क्षेत्र में 294 नए विद्यालय का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 472 नई ई-बस सेवाओं की शुरुआत और पूंजीगत व्यय से अधोसंरचना और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी.

भोपाल निगमायुक्त संस्कृति जैन को बड़ी राहत

हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की निरस्त

जबलपुर 18 फरवरी,मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने बुधवार को नगर निगम भोपाल की आयुक्त संस्कृति जैन के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई निरस्त कर दी.जबकि एकलपीठ के समक्ष मूल याचिका पर सुनवाई जारी रहने की व्यवस्था दी है.

दरअसल इस मामले में एकलपीठ ने एकलपीठ ने निगमायुक्त को अवमानना का दोषी करार दिया था और उसकी सजा के लिए सुनवाई होनी थी.

इसी बीच नगर निगम भोपाल व निगमायुक्त की ओर से युगलपीठ के समक्ष अपील दायर कर दी थी.नगर निगम आयुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस रूपराह, सुयश मोहन गुरू ने पक्ष रखा.उन्होंने दलील दी कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार तभी है जब न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन हुआ हो.मर्लिन बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड की पूरी याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि नगर निगम ने उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन किया हो.मामले में एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा- निर्देशों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए नगर निगम भोपाल की आयुक्त संस्कृति जैन को अवमानना का दोषी ठहराया था.न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी.यह मामला मर्लिन बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका से संबंधित है.याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि नगर निगम ने 18 नवंबर 2025 को उसकी संपत्ति के फ्रंट हिस्से को विहित प्रक्रिया अपनाए बिना तोड़ दिया.नगर निगम की ओर से दलील दी गई कि निर्माण अवैध था.सात नवंबर 2024 को दी गई अनुमति निरस्त की जा चुकी थी.14 मई 2025 को नोटिस जारी किया गया था.इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई.

बजट के विरोध में महिला कांग्रेस गुरुवार को करेगी प्रदर्शन

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश सरकार के वार्षिक बजट के प्रावधानों का महिला कांग्रेस ने विरोध करते हुए गुरुवार को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के निवास के समीप प्रदर्शन करने की घोषणा की है. महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी सेतिया खाली थाली और खाली गैस सिलेंडर के साथ वित्त मंत्री के निवास के समीप अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगी. महिला कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम होना चाहिए. पार्टी की बजट के संबंध में और भी मांग हैं.

शाम होते ही जाम में फंस जाते हैं वाहन चालक

मंडीदीप, 18 फरवरी. मंडीदीप में जाम अब आम हो चुका है. शहर से गुजरने वाला हाईवे पर आए दिन जाम लग जाता है.

यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालक मंडीदीप, सतलापुर एवं मंगल बाजार से गुजरने के लिए बचते है परंतु मजबूरी में लोग यहां से निकलते हैं. शहर में आए दिन जाम की स्थिति बनी हुई रहती है. इसकी सुध न तो यातायात विभाग के कर्मचारी, न तो पुलिस और न ही जिम्मेदार अधिकारी है ले रहे हैं.एमपीआरडीसी के पास सर्विस रोड के चौड़ीकरण के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है. मंडीदीप में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक बनती है.

इनका कहना है

पुलिस का पूरा अमला जाम हटाने में लगा रहता है, बड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनती रहती ह". शाम के समय जाम ज्यादा होता है. पुलिस पूरी तरह से जाम से निजात के लिए मुस्तैद ह.

रंजीत सराठे, थाना प्रभारी,मंडीदीप.

सरकार का बजट जनता के साथ खुला धोखा

भोपाल. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करार देते हुए इसे 卐ठग बजट卐 बताया. उन्होंने कहा कि 4.38 लाख करोड़ रुपये के विशाल बजट के पीछे 78,000 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा छिपा हुआ है, जिसकी स्पष्ट व्याख्या सरकार आज तक नहीं कर पाई है कि यह राशि भविष्य में कहां से लाई जाएगी.

श्री पटवारी ने कहा कि पिछले वर्ष 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था, लेकिन उसका लगभग 50 प्रतिशत तक उपयोग ही नहीं हो पाया. इसके बावजूद सरकार रोज़ाना औसतन 213 करोड़ रुपये का कर्ज लेती रही. यह वित्तीय कुप्रबंधन जनता को गुमराह करने और प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने का प्रमाण है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तीखे शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को कुत्तों की नसबंदी की चिंता छोड़कर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार की नसबंदी करनी चाहिए. तभी मध्य प्रदेश आर्थिक आपातकाल जैसे हालात से बाहर निकल पाएगा.

उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता का खून चूसने वाला बजट है. श्री पटवारी ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें कहा गया कि सरकार ने कोई नया कर नहीं बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी पर वैट के मामले में मध्य प्रदेश पहले से ही देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है. क्या सरकार जनता पर और बोझ डालना चाहती है

उन्होंने कहा कि बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की बात तो की गई, लेकिन किसानों और गरीबों के साथ खुले तौर पर छल किया गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किसानों को सोयाबीन 6000, धान 3100 और गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदने के वादे किए गए थे— लेकिन बजट में इनके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है.

इसी तरह लाड़ली बहनों को 3000 प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई स्पष्ट और पर्याप्त प्रावधान नहीं दिखता. विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने जैसे वादों का भी बजट में कोई ठोस उत्तर नहीं है. श्री पटवारी ने कहा कि जिस बजट में 78,000 करोड़ रुपये का घाटा स्वीकार किया गया है, उसी में पिछले वर्ष लिए गए 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज का पैसों का आवंटन हुआ पीएम आवास, मनरेगा और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य के बजट से प्रावधान कर यह स्पष्ट हो गया है कि यह राज्य का बजट कम और केंद्र शासित प्रदेश जैसा बजट अधिक बन गया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बजट का आकार जानबूझकर बढ़ाया गया है ताकि कर्ज का मूल्यांकन बढ़े और सरकार और ज्यादा कर्ज ले सके. यह जनता को गुमराह करने की एक सुनियोजित प्रक्रिया है, जिसका नकाब अब उतर चुका है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कृषि वर्ष मनाने की बात करती है और 1000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करती है, लेकिन जब कृषि उत्थान की बात आती है तो सबसे पहले धान, सोयाबीन और गेहूं के दाम तय किए जाते हैं—जो इस बजट में पूरी तरह नदारद हैं.

अंत में श्री पटवारी ने कहा,

मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने में पूरी तरह असफल साबित हुए हैं. कांग्रेस पार्टी इस जनविरोधी और छलपूर्ण बजट का विरोध करती है.

शौचालयों में घटिया निर्माण की शिकायतें

मंडीदीप, 18 फरवरी. नगर पालिका द्वारा शहर में करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स की निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि निर्माण एजेंसियां तय मापदंडों का पालन नहीं कर रही हैं. इस संबंध में रहवासियों ने नगर पालिका कार्यालय, आयुक्त नगरीय प्रशासन और जिला परियोजना अधिकारी को लिखित शिकायत की है, जिसमें निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख जांच की मांग की है.

इनका कहना है

नपा द्वारा निर्माणधीन सुलभ शौचालययों में गुणवत्ता नियमों की अनदेखी की जा रही है, इस संबंध में नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों से निर्माण कार्यों की जांच की मांग की गई है.

अजय आहूजा, रहवासी मंडीदीप.

जांच कराएंगे

शिकायती आवेदन पर जांच कराई जाएगी. कहीं कमी होगी तो निर्माण एजेंसी को नोटिस देकर जबाव मांगेंगे. जल्द गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी.

प्रशांत जैन, सीएमओ, नगरपालिका, मंडीदीप.

मप्र में मौसम बदलेगा : 22 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. दो चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से प्रदेश के 22 जिलों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

मंगलवार रात रतलाम में हुई बारिश ने बदलाव की शुरुआत का संकेत दे दिया है. मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, राजगढ़, आगर-मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. भोपाल, देवास, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना और सतना में बादल छाए रहने के आसार हैं.

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि सक्रिय सिस्टम के कारण बादल घिरेंगे और न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी, जिससे रात की ठंड कम होती नजर आएगी.

गुरुवार को ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश जारी रहेगी. इसके बाद सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा और मौसम सामान्य हो जाएगा. इस महीने की शुरुआत में दो बार ओले, बारिश और तेज हवाओं ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था. अब 18 फरवरी से तीसरी बार प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है.

जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है. तापमान की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है. मंगलवार को 20 से ज्यादा जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया.

वहीं रात में हल्की सर्दी बनी हुई है, हालांकि न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है. कटनी जिले के करौंदी में सबसे कम 8 डिग्री, शहडोल के कल्याणपुर में 8.1 डिग्री, पचमढ़ी में 8.8 डिग्री और रीवा में 9.6 डिग्री दर्ज हुआ.

फेडरेशन ने बजट प्रावधानों को सराहा

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश सरकार का बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया गया, जिसका फेडरेशन ने स्वागत किया. फेडरेशन ने कहा कि प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट संतुलित एवं दूरदर्शी है. फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार बजट गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति के साथ-साथ अधोसंरचना और उद्योग को विकास की केंद्रीय धुरी बनाया गया है, जिससे उत्पादन क्षमता और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. फेडरेशन ने अधोसंरचना क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऐतिहासिक निवेश तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं वित्तीय उपकरणों के उपयोग की पहल का स्वागत किया है. एमएसएमई प्रोत्साहन एवं व्यापार संवर्धन योजनाओं के लिए प्रावधान तथा किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाए जाने का निर्णय उद्योग एवं व्यापार जगत के लिए राहतकारी है. इससे व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा.

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित

कार्यालय महाप्रबंधक (संपदा/निर्माण), संभाग क्रमांक-01, भोपाल
पंचानन भवन द्वितीय तल, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक : 0755-2673196, E-mail : laghubpl01@gmail.com
क्र. : लउनि/निर्माण/संभाग क्र.-01/भोपाल/2025-26/47 भोपाल, दिनांक : 17.02.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यों की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती हैं:- **कार्य का नाम- 1. औद्योगिक क्षेत्र समनापुर जागीर जिला रायसेन में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. ड्रेन, ह्यूम पाइप कल्वर्ट एवं 1 नग साइन बोर्ड निर्माण कार्य, अनुमानित लागत राशि रुपये 212.28 लाख। 2. औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल जिला भोपाल में सी.सी. रोड, रोड चौड़ीकरण एवं टी प्लांटेशन निर्माण कार्य, अनुमानित लागत राशि रुपये 174.12 लाख। 3. औद्योगिक क्षेत्र मण्डी सीहोर जिला सीहोर में सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य, अनुमानित लागत राशि रुपये 158.98 लाख।** निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर दी जावेगी। निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है, तो वह उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र. माध्यम/124530/2026 **महाप्रबंधक (सं./नि.)**

नाम परिवर्तन

NOOH KHAN S/O MOHAMMED PARVEZ आयु वयस्क निवासी: 16, तिजारन गली नियर तिजरा कब्रस्तान जिन्सी जहांगीराबाद भोपाल, मेरे पासपोर्ट में पहले मेरे पिता का नाम PARVEZ KHAN दर्ज था, जो कि बदल कर मेरे पिता का नाम MOHAMMED PARVEZ हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरे पिता का नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं रहूँगा.

नाम परिवर्तन

MOHAMMAD KHALID S/O ABDUL RASHEED आयु वयस्क निवासी : 7, गली घसियारन घोड़ा नक्कास भोपाल, बच्ची के पासपोर्ट में पहले माता का नाम SALEHA दर्ज था, जो कि बदल कर बच्ची की माता का नाम SALAHA BEGUM हो गया है. अब बच्ची के दस्तावेज में बच्ची की माता का नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं मैं रहूँगा.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल हरदा

फोन- 07577-222003, फैक्स- 07577-224224 ई-मेल: dfotharda@mp.gov.in

विज्ञप्ति

हरदा सामान्य वन मंडल के अंतिम रूप से राजसात वाहन (जहां है, जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदाएं वन मंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 24/2/2026 को 3 बजे तक आमंत्रित की गई हैं, जो कि उक्त दिनांक 24/2/2026 को दिन के 3 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 24/2/2026 को ही 4 बजे खोली जावेंगी. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी. जप्त राजसात वाहन का विवरण जिनका निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है :-

स.	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	वाहन का प्रकार	स्थान जहां वाहन रखा है
1.	MP43G2394	बोलेरो पिकअप वैन	--,--	वन चौकी लाल्याचापड़ सिराली
2.	MP48ZA5395	मो.सा. टीव्हीएस स्टार सी.टी. प्लस	--,,--	परिक्षेत्र कार्यालय बोरपानी स्थान रहटगांव
3.	MP47ZA2039	मो.सा. प्लेटिना 100 ई.एस.	--,--	--,,--
4.	MP47MK6195	मो.सा. सी.टी. 100 ई.एस.	--,,--	--,,--

निविदाकार के लिए निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होंगी:-

1. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रति निविदा फार्म की कीमत रुपए 100/- नगद जमा करानी होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी. निविदा फार्म दिनाक 24/2/2026 को दोपहर 2 बजे तक ही प्रदाय किए जावेंगे.
2. निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए पृथक-पृथक निविदा के साथ दोपहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 2000/- एवं चार पहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 5000/- का बैंक ड्रॉफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो, प्रस्तुत करना होगा.
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी.
4. वाहन पर किसी संस्थान/ बैंक/ निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी.
5. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का बैंक ड्रॉफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी.
6. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहां जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा.
7. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा.
8. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 24/2/2026 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकती हैं.
9. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाए गए स्थानों पर कर सकेंगे तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेंगे. निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्युडिशियल क्षेत्र होगा.

(ज्योति मुड़िया)
प्रभारी वनमंडलाधिकारी, हरदा (सामान्य) वन मंडल

G26007/25

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल हरदा

फोन- 07577-222003, फैक्स- 07577-224224 ई-मेल: dfotharda@mp.gov.in

विज्ञप्ति

हरदा सामान्य वन मंडल के अंतिम रूप से राजसात वाहन (जहां है, जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदाएं वन मंडल कार्यालय सामान्य हरदा में दिनांक 24/2/2026 को 3 बजे तक आमंत्रित की गई हैं, जो कि उक्त दिनांक 24/2/2026 को दिन के 3 बजे तक प्राप्त की जावेंगी तथा प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 24/2/2026 को ही 4 बजे खोली जावेंगी. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी. जप्त राजसात वाहन का विवरण जिनका निविदा द्वारा विक्रय किया जाना है :-

स.	वाहन का क्रमांक	वाहन का नाम	अवरोध दर (अपसेट प्राइस)	स्थान जहां वाहन रखा है
1.	RJ192G2705	ट्रक टाटा	324000/-	परिक्षेत्र कार्यालय हंडिया स्थान हरदा

निविदाकार के लिए निम्नानुसार शर्तें बंधनकारी होंगी:-

1. निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किए जा सकेंगे. प्रति निविदा फार्म की कीमत रुपए 100/- नगद जमा करानी होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी. निविदा फार्म दिनाक 24/2/2026 को दोपहर 2 बजे तक ही प्रदाय किए जावेंगे.
2. निविदाकार को वाहन के लिए निविदा के साथ चार पहिया वाहन की जमानत के रूप में राशि रुपए 5000/- का बैंक ड्रॉफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वन मंडल अधिकारी सामान्य हरदा) से जो हरदा में देय हो, प्रस्तुत करना होगा.
3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई कागजात उपलब्ध नहीं हैं और न ही उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी.
4. वाहन पर किसी संस्थान/ बैंक/ निजी व्यक्ति फायनेंस बावत् कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी.
5. सफल निविदाकार को वाहन क्रय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर वाहन की शेष राशि एवं क्रय वाहन की कीमत पर शासन निर्देशानुसार 18 प्रतिशत जीएसटी राशि का बैंक ड्रॉफ्ट पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी.
6. निविदा में उल्लेखित जप्तशुदा राजसात वाहन वर्तमान में जहां जैसा है, निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में उसी हालत में प्राप्त करना होगा.
7. परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा.
8. निविदा की विस्तृत शर्तें दिनांक 24/2/2026 तक कार्यालयीन समय में वनमंडल कार्यालय में देखी जा सकती हैं.
9. निविदाकार उक्त वाहनों का अवलोकन/ भौतिक सत्यापन कार्यालयीन समय में दर्शाए गए स्थानों पर कर सकेंगे तथा भौतिक सत्यापन पश्चात निविदा फार्म का क्रय एवं निविदा फार्म डालेंगे. निविदा दिनांक को वर्णित वाहनों के संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी.
10. निविदा मान्य अथवा अमान्य करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा.
11. विवाद की स्थिति में हरदा ज्युडिशियल क्षेत्र होगा.

(ज्योति मुड़िया)
प्रभारी वनमंडलाधिकारी, हरदा (सामान्य) वन मंडल

G26010/25

भारतीय स्टेट बैंक होम लोन सेन्टर-1
होम लोन सेन्टर-1, द्वितीय तल, व्यवसायिक शाखा बिल्डिंग, एलएचओ भवन के पीछे, अरेरा हिल्स, भोपाल-11. फोन: 2575170, 2575192

चल संपत्ति के विक्रय हेतु नोटिस

ई-नीलामी की दिनांकः 26.02.2026, समयः सुबह 11.00 से 5.00 बजे

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा कॉलम ग में नीचे वर्णित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्न-लिखित उधार लेने वालों और प्रत्याभूति-दाता से प्रतिभूति लेनदार को बकाया राशि कॉलम ख में नीचे वर्णित की वसूली हेतु दिनांक 26.02.2026 को बेचा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि कॉलम घ में क्रमशः नीचे वर्णित है।

ऋणी का नाम एवं जमानतदार का नाम	विक्रय सम्पत्ति पर बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण एवं टाइटल धारक का नाम	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धनराशि / बोली वृद्धि राशि
क	ख	ग	घ
श्रीमती सरिता चौरे पत्नि श्री सरजू प्रसाद चौरे म. नं. 27, जवाहर नगर, खजूरी कलां, अवधपुरी, भोपाल	रू. **10,50,734.00** +ब्याज+अन्य खर्च	CITROEN / C3 SHINE 1.2 L **MP-04-ZX-4003** (Petrol) WHITE & ORANGE, Model -2024 संपत्ति आईडी : SBINMP04ZX4003	रू. **7,65,000/-** / रू. **76,500/-** / रू. **5,000/-**
श्री नरेन्द्र सिंह गौर पुत्र श्री यतेन्दर सिंह गौर सी-49, पैलेस ऑर्चेड, कोलार रोड, भोपाल	रू. **16,29,555.00** +ब्याज व अन्य खर्च	GRAND VITARA STRONG HYBRID ZETA+ **MP-04-YD-5013** (Petrol) Colour Prime Celestial Blue, Model - 2024 संपत्ति आईडी : SBINMP04YD5013	रू. **14,00,000/-** / रू. **1,40,000/-** / रू. **5,000/-**

इच्छुक बोली लगाने वाले / खरीदारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक ई-नीलामी वेब पोर्टल www.baanknet.com में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाईन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। नीलामी के पूर्व रजिस्ट्रेशन, केवायसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी जमा अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्तियों पर कोई अन्य भार नहीं है, फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्तियों से संबंधित किसी भी भार के विषय में संबंधित कार्यालय / विभाग से जानकारी प्राप्त करें। संपत्ति से संबंधित निर्णय निविदादाता को स्वविवेक से लेना होगा। ई-नीलामी **'जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है'** के आधार पर एवं ऑनलाईन होगी। ई-नीलामी की प्रक्रिया बैंक द्वारा संचालित की जावेगी। वेब पोर्टल : www.baanknet.com ऑनलाईन नीलामी बिक्री टेंडर दस्तावेज, ऑनलाईल ई-नीलामी निविदा फार्म, घोषणा पत्र, नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर उपलब्ध है। विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृप्या कॉमन गवर्नमेंट पोर्टल पर जाएं अर्थात www.baanknet.com (वेबसाईट का ब्योरा) देखें।

वाहन निरीक्षण दिनांक 24.02.2026 समय सुबह 11.00 से शाम 4.00 बजे तक (पूर्व में लिए समय अनुसार) 1) 06 दिन पहले रजिस्ट्रेशन एवं ईएमडी राशि वॉलेट में ई-नीलामी की दिनांक से 2 दिन पूर्व जमा करना, सुनिश्चत करें, 2) रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी के लिए 8291220220, ई-मेल: support.baanknet@psballiance.com

यह प्रकाशन ऋणी/जमानतदारों/बंधनकर्ताओं को लोन अनुबंध के अंतर्गत 07 दिवसीय सूचना भी है।

नोटः नीलामी सम्बधित अंतिम नियम/शर्तें व निर्णय भारतीय स्टेट बैंक के पास सुरक्षित है।

दिनांक : 17.02.2026 **प्राधिकृत अधिकारी**